छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | पंचादश सत्र | अंक-15

<u>रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2018</u>

(फाल्गुन 7, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06, 08 से 18 एवं 21 (कुल 18) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 07, 19 एवं 20 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: डॉ. सनम जांगड़े, सर्वश्री लालजीत सिंह राठिया तथा दिलीप लहरिया अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 37 तारांकित एवं 61 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003, (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार :-

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम 2016,

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) प्रथम संशोधन विनियम 2016,

(3) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम 2016,

(4) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) (प्रथम संशोधन) विनियम 2016,

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियां -

(1) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड,

(2) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,

(3) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,

(4) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16,

(3) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का चतुर्दश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16,

(4) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 13/एफ-2017-04-04005/वित्त/वि.आर.प्र., दिनांक 29 जनवरी, 2018,

(5) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा - 19 के अंतर्गत सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017,

(6) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017,

(7) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2017-18 के बजट की तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, तथा

(8) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 **पटल पर रखे।**

3. पृच्छा

सर्वश्री धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा नोटबंदी और जी.एस.टी. की वजह से उद्योग एवं कारोबार जगत में हताशा व निराशा के माहौल संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - दिनांक 10 फरवरी की घटना पर आपके द्वारा आज स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है। इस संबंध में पूर्व में आपकी ओर से ध्यानाकर्षण की सूचना भी प्राप्त हुई है तथा पूर्व में भी अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय एवं अन्य अवसरों पर घटना का उल्लेख किया जा चुका है और आज विनियोग विधेयक पर चर्चा भी होना है, इसलिए स्थगन की सूचना को कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री संतोष उपाध्याय, डॉ. विमल चोपड़ा, श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य ने जिला रायपुर विकासखंड अभनपुर, ग्राम टेकारी में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

(2) श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य ने जिला राजनांदगांव, विकासखण्ड अम्बागढ़ चौकी, ग्राम पंचायत सोनसायटोला में दूषित पानी पीने से ग्रामीणों के बीमार होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री रामसेवक पैकरा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 26 फरवरी, 2018 को उन्होंने सदन में 16 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री जनकराम वर्मा
(2) श्री गिरवर जंघेल
(3) श्री शंकर ध्रुवा
(4) श्री अरूण वोरा
(5) श्री बघेल लखेश्वर
(6) श्री टी.एस.सिंहदेव
(7) श्री नवीन मारकण्डेय
(8) श्री संतराम नेताम
(9) श्री मोतीलाल देवांगन
(10) डॉ. प्रीतम राम
(11) श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम
(12) श्री दीपक बैज
(13) श्री दलेश्वर साहू
(14) श्री देवजी भाई पटेल
(15) श्री अमरजीत भगत
(16) श्री अवधेश सिंह चंदेल

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2018 (क्रमांक 2 सन् 2018)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2018 (क्रमांक 2 सन् 2018) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री देवजी भाई पटेल, केशव चंद्रा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. विमल चोपड़ा, श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सूचित किया कि विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 158 (2) के तहत छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2018 के विचार एवं पारण के लिए पांच बजे तक का समय निर्धारित है। चूंकि चर्चा अभी शेष है अत: नियम 158 (2) को शिथिल करते हुए विनियोग विधेयक पारण के समय में तथा कार्यसूची के कार्य पूर्ण होने तक होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई।)

7. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

8. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज राज्यसभा के सदस्य श्री रामविचार नेताम अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

9. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2,3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2018 (क्रमांक 2 सन् 2018) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

10. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह में आज दिनांक 26 फरवरी, 2018 को **श्री शरमन जोशी** द्वारा अभिनीत नाटक **"राजू, राजा, राम और मैं"** का मंचन सायं 6.15 बजे से होगा।

सायं 5.46 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2018 (फाल्गुन-8, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा